

उत्तर प्रदेश शासन
न्याय अनुभाग-7 (कल्याण निधि)
संख्या-7/2017/276/सात-न्याय-7-2017-8(क0नि0)/2010
लखनऊ दिनांक 05 जुलाई 2017

कार्यालय जाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, न्याय अनुभाग-9 (बजट) के शासनादेश संख्या- 44/2017/800/न्याय-9 (बजट) -2017-4(ब)/2016 दिनांक 03 अप्रैल, 2017 द्वारा वित्तीय वर्ष-2017-18 के लिये आवंटित धनराशि रू0 2,50,00,000/- (रूपये दो करोड़.पचास लाख मात्र) के सापेक्ष निम्नानुसार कुल रू0 2,38,60,810/- (रूपये दो करोड़.अड़तीस लाख साठ हजार आठ सौ दस मात्र) की धनराशि सदस्य सचिव, 30 प्र0 अधिवक्ता कल्याण निधि, न्यासी समिति, लखनऊ को अन्तरित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

वित्तीय वर्ष-2013-14 तथा 2014-15 विभिन्न जनपदों में अधिवक्ता कल्याणकारी टिकटों की बिक्री से प्राप्त शुद्ध आय	2,38,60,810/-
कुल योग - रूपये	2,38,60,810/-

(रूपये दो करोड़.अड़तीस लाख साठ हजार आठ सौ दस मात्र)

- 2- उपर्युक्त धनराशि का उपयोग निर्धारित नियमों/शर्तों के अधीन किया जायेगा।
- 3- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-42 के अधीन लेखा शीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-(आयोजनेत्तर) -200-अन्य कार्यक्रम-06-अधिवक्ता कल्याण निधि से संबंधित कल्याणकारी स्टाम्पों की बिक्री की शुद्ध प्राप्ति का अधिवक्ता कल्याण निधि हेतु न्यासी समिति को अन्तरण-42-अन्य व्यय " के नामें डाला जायेगा।

ह0/- रंगनाथ पाण्डेय
प्रमुख सचिव

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-7/2017/276(1)/सात-न्याय-7/2017- तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा प्रथम), 30 प्र0 इलाहाबाद।
- 2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहरभवन लखनऊ।
- 3- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12
- 4- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
- 5- अनुभाग अधिकारी (लेखा) न्याय सचिव शाखा न्याय अनुभाग-8 (लेखा)
प्रकोष्ठ को 03 अतिरिक्त प्रतियों सहित इस आशय से प्रेषित की कृपया
30प्र0 अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के पक्ष में रू0 2,38,60,810/- (रूपये दो
करोड.अड़तीस लाख साठ हजार आठ सौ दस मात्र) का एकाउन्ट पेई चेक बनवाने का कष्ट
करें।
- 6- सदस्य सचिव, अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति बी-24, दारूलशफा, लखनऊ को
अन्तरित होने वाली धनराशि रू0 2,38,60,810/-के विवरण सहित।
- 7- संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-5
- 8- अपर सचिव राजस्व परिषद/ स्टाम्प शुल्क आयुक्त 30 प्र0 इलाहाबाद।
- 9- न्याय अनुभाग- 9 (बजट)
- 10- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

ह0/-राजेश पति त्रिपाठी,
विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।